भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4459

20 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

बीपीएल के लिए राशन कार्ड

4459. श्री विजय कुमार दूबे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले सभी पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड प्राप्त होना सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं/उठा रही है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा अपात्र व्यक्तियों और भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा राशन कार्डों के दुरुपयोग को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है और उनके क्या परिणाम रहे?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रावधान के अनुसार शासित होती है।

अधिनियम के तहत लाभार्थियों की पहचान दो श्रेणियों में की गई है - अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार और प्राथमिकता वाले परिवार। अधिनियम में प्रावधान है कि राज्य सरकार, राज्य के लिए निर्धारित लाभार्थियों की अधिकतम सीमा के भीतर, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक, उक्त योजना पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवारों की पहचान करेगी और शेष परिवारों को राज्य सरकार द्वारा स्वयं तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले प्राथमिकता वाले परिवारों के रूप में पहचान करेगी। अधिनियम के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की कोई श्रेणी नहीं है।

....2/-

(ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का प्रचालन केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित कवरेज के तहत लाभार्थियों की पहचान और उनके राशन कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

जब भी विभाग को व्यक्तियों, संगठनों, मीडिया रिपोर्टों आदि के माध्यम से एनएफएसए या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए शिकायतें प्राप्त होती हैं, जैसे कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के कामकाज में किसी भी अनियमितता के बारे में, जैसे कि सब्सिडी वाले खाद्यान्नों का रिसाव/अपव्यय, राशन कार्ड जारी करने के संबंध में, उचित दर दुकान के कामकाज के संबंध में शिकायतें आदि, तो उन्हें जांच और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को भेज दिया जाता है।

(घ) केन्द्र सरकार ने समय-समय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएफएसए के तहत शामिल करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों सहित सभी पात्र और गरीब व्यक्तियों/परिवारों की पहचान करने के लिए परामर्श (एडवाइजरी) जारी किए हैं। राज्य अपने लाभार्थी डाटाबेस को अद्यतन करते हैं ताकि अपात्र राशन कार्ड हटाए जा सकें और सही लाभार्थियों को बेहतर ढंग से लक्षित किया जा सके। इस प्रकार, अधिनियम के तहत अपात्र लाभार्थियों को हटाना और पात्र लाभार्थियों को जोड़ना एक सतत प्रक्रिया है।

वर्ष 2013 से टीडीपीएस प्रचालनों में प्रौद्योगिकी के उपयोग के परिणामस्वरूप, अर्थात राशन कार्ड/लाभार्थी डाटाबेस के डिजिटलीकरण और आधार सीडिंग से डुप्लिकेट, अयोग्य रिकॉर्ड, मृत्यु, लाभार्थी के स्थायी प्रवास आदि की पहचान करने में मदद मिली है। इसके परिणामस्वरूप सभी राज्य/केंद्र राज्य क्षेत्र सही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगभग 5.87 करोड़ राशन कार्डों को हटाने में सक्षम हुए हैं।

*****